भारत सरकार

रेल मंत्रालय

लोक सभा

27.11.2024 के

अतारांकित प्रश्न सं. 407 का उत्तर

महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में नई रेल परियोजना की घोषणा

407. श्री संदिपनराव आसाराम भुमरे:
श्री रविन्द्र दत्ताराम वायकर:
श्री ज्ञानेश्वर पाटील:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत पांच वर्षों के दौरान महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में घोषित की गई नई रेल परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) अब तक कितनी परियोजनाएं शुरू की गई हैं और कौन-कौन सी परियोजनाएं अपने निर्धारित समय से पीछे चल रही हैं और इन परियोजनाओं के लिए विशेषकर महाराष्ट्र के संभाजी जिले में कितना बजटीय आबंटन किया गया है और तत्संबंधी जोन-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त परियोजनाओं के कब तक पूरा होने की संभावना है और तत्संबंधी निर्धारित समय-सीमा क्या है;

(घ) शुरू नहीं की गई परियोजनाओं की स्थिति क्या है और उन्हें कब तक शुरू किए जाने की संभावना है; और

(ङ) क्या सरकार ने उक्त परियोजनाओं को यथाशीघ्र पूरा करने और भविष्य में लागत में वृद्धि को रोकने के लिए कोई कदम उठाए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (ङ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

****

महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में नई रेल परियोजना की घोषणा के संबंध में दिनांक 27.11.2024 को लोक सभा में श्री संदिपनराव आसाराम भुमरे, श्री रविन्द्र दत्ताराम वायकर और श्री ज्ञानेश्वर पाटील के अतारांकित प्रश्न सं. 407 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर से संबंधित विवरण।

(क) से (ङ): रेल परियोजनाएं मंडल-वार/जिला-वार/राज्य-वार नहीं बल्कि क्षेत्रीय रेल-वार स्वीकृत और क्रियान्वित की जाती हैं क्योंकि रेल परियोजनाएं विभिन्न मंडलों/जिलों/राज्यों की सीमाओं के आर-पार फैली हो सकती हैं।

दिनांक 01.04.2024 की स्थिति के अनुसार, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश राज्यों सहित भारतीय रेल पर लगभग 7.44 लाख करोड़ रू. की लागत और 44,888 कि.मी. कुल लंबाई की 488 परियोजनाएं (187 नई लाइन, 40 आमान परिवर्तन और 261 दोहरीकरण) योजना/अनुमोदन/निर्माण के स्तर पर हैं जिनमें से 12,045 कि.मी. लंबाई को कमीशन कर दिया गया है और मार्च 2024 तक लगभग 2.92 लाख करोड़ रू. व्यय उपगत किया गया है।

<u>महाराष्ट्र</u>

01.04.2024 की स्थिति के अनुसार, संभाजी जिले सहित महाराष्ट्र राज्य में पूर्णतः/अंशत: पड़ने वाली 81,580 करोड़ रुपए की लागत वाली 5,877 कि.मी. कुल लंबाई की 41 रेल अवसंरचना परियोजनाएं (16 नई लाइन, 02 आमान परिवर्तन और 23 दोहरीकरण) योजना/अनुमोदन/निर्माण के चरण में हैं, जिनमें से 1,926 कि.मी. लंबाई को कमीशन कर दिया गया है और मार्च, 2024 तक 31,236 करोड़ रुपए का व्यय किया गया है। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं:-

I **38,423 करोड़ रु. की लागत वाली 2,017 कि.मी. कुल लंबाई की 16 नई लाइन परियोजनाओं में से 166 कि.मी. लंबाई को कमीशन कर दिया गया है और मार्च, 2024 तक 8,529 करोड़ रुपए का व्यय किया गया है।**

II 7,339 करोड़ रु. की लागत वाली 609 कि.मी. कुल लंबाई की 2 आमान परिवर्तन परियोजनाओं में से 312 कि.मी. लंबाई को कमीशन कर दिया गया है और मार्च, 2024 तक 3,332 करोड़ रुपए का व्यय किया गया है।

III 35,818 करोड़ रु. की लागत वाली 3,251 कि.मी. लंबाई की 23 दोहरीकरण परियोजनाओं में से 1,448 कि.मी. लंबाई को कमीशन कर दिया गया है और मार्च, 2024 तक 19,376 करोड़ रुपए का व्यय किया गया है।

2014 से भारतीय रेल में परियोजनाओं के निधि आबंटन और उनकी तदनुरूपी कमीशनिंग में पर्याप्त वृद्धि हुई है। महाराष्ट्र राज्य में पूर्णतः/अंशत: पड़ने वाली अवसंरचना परियोजनाओं और संरक्षा कार्यों हेतु बजट आबंटन निम्नानुसार हैः-

अवधि	औसत परिव्यय	2009-14 के दौरान औसत आबंटन की तुलना में वृद्धि
2009-14	1,171 करोड़ रु. प्रति वर्ष	-
2023-24	13,539 करोड़ रु.	11.56 गुना
2024-25	15,940 करोड़ रु.	13.6 गुना

महाराष्ट्र राज्य में पूर्णत:/अंशत: पड़ने वाली अवसंरचना परियोजनाओं की कमीशनिंग का ब्यौरा निम्नानुसार है -

अवधि	कमीशन किए गए कुल रेलपथ	कमीशन किए गए औसत रेलपथ	2009-14 के दौरान औसत कमीशनिंग की तुलना में वृद्धि
2009-14	292 किलोमीटर	58.4 किलोमीटर प्रति वर्ष	-
2014-24	1830 किलोमीटर	183 किलोमीटर प्रति वर्ष	3.13 गुना

2023-24 में कुल 356 कि.मी. को कमीशन किया गया है, जो 2009-14 के दौरान औसत कमीशनिंग की तुलना में 6 गुना से अधिक है।

<u>मध्य प्रदेश</u>

01.04.2024 की स्थिति के अनुसार, मध्य प्रदेश राज्य में पूर्णतः/अंशत: पड़ने वाली 81,797 करोड़ रुपए की लागत वाली 5,345 कि.मी. कुल लंबाई की 28 (08 नई लाइन, 02 आमान परिवर्तन और 18 दोहरीकरण) रेल परियोजनाएं योजना/अनुमोदन/निष्पादन के विभिन्न चरणों में हैं। इनमें से 1,952 कि.मी. लंबाई को कमीशन कर दिया गया है और मार्च, 2024 तक 36,898 करोड़ रुपए का व्यय किया गया है। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं:-

- **38,643 करोड़ रु. की लागत वाली 1,962 कि.मी. कुल लंबाई को कवर करने वाली 08 नई लाइन परियोजनाओं में से 468 कि.मी. लंबाई को कमीशन कर दिया गया है और मार्च, 2024 तक 11,091 करोड़ रुपए का व्यय किया गया है।**

- **9,297 करोड़ रु. की लागत वाली 809 कि.मी. कुल लंबाई को कवर करने वाली 2 आमान परिवर्तन परियोजनाओं में से 380 कि.मी. लंबाई को कमीशन कर दिया गया है और मार्च, 2024 तक 5,220 करोड़ रुपए का व्यय किया गया है।**

- **33,857 करोड़ रु. की लागत वाली 2,574 कि.मी. कुल लंबाई को कवर करने वाली 18 दोहरीकरण परियोजनाओं में से 1,104 कि.मी. लंबाई को कमीशन कर दिया गया है और मार्च, 2024 तक 20,587 करोड़ रुपए का व्यय किया गया है।**

वर्ष 2014 से मध्य प्रदेश राज्य में पूर्णतः/अंशतः पड़ने वाली परियोजनाओं के लिए निधि आवंटन और तदनुरूपी कमीशनिंग में पर्याप्त वृद्धि हुई है। मध्य प्रदेश राज्य में पूर्णतः/अंशतः

पड़ने वाली अवसंरचना परियोजनाओं और संरक्षा कार्यों के लिए औसत वार्षिक बजट आवंटन तथा तदनुरूपी कमीशनिंग निम्नानुसार है:-

<u>बजट आवंटन</u>

अवधि	औसत परिव्यय	2009-14 के दौरान औसत कमीशनिंग की तुलना में वृद्धि
2009-14	632 करोड़ रुपए/वर्ष	-
2023-24	13,607 करोड़ रूपए/वर्ष	21.5 गुना
2024-25	14,738 करोड़ रूपए	23 गुना

<u>कमीशनिंग किया गयाः</u>

अवधि	औसत कमीशनिंग	2009-14 के दौरान कमीशनिंग की तुलना में वृद्धि
2009-14	145 किलोमीटर (29 कि.मी./वर्ष)	-
2014-24	2249 किलोमीटर (224.9 कि.मी./वर्ष)	7.5 गुना से अधिक

रेल परियोजनाओं को मंजूरी देना भारतीय रेल की एक सतत् और गतिशील प्रक्रिया है। रेल अवसंरचना संबंधी परियोजनाओं को चालू परियोजनाओं की दायिताओं, निधियों की समग्र उपलब्धता और प्रतिस्पर्धी मांगों के आधार पर लाभप्रदता, अंतिम स्थान संपर्कता, मिसिंग लिंक और वैकल्पिक मार्ग, असंबद्ध कस्बों और शहरों को जोड़ने, संकुचित/संतृप्त क्षेत्रों में लाइनों की वृद्धि, सामाजिक-आर्थिक विचार आदि के आधार पर शुरू किया जाता है।

निधियों के आबंटन और व्यय सहित रेल परियोजनाओं का परियोजना-वार और क्षेत्रीय रेल-वार ब्यौरा भारतीय रेल की वेबसाइट पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराया गया है।

रेल परियोजना (परियोजनाओं) का पूरा होना राज्य सरकार द्वारा शीघ्र भूमि अधिग्रहण, वन विभाग के प्राधिकारियों द्वारा वन संबंधी मंजूरी, बाधक जनोपयोगी सेवाओं का स्थानांतरण, विभिन्न प्राधिकरणों से सांविधिक स्वीकृतियां, क्षेत्र की भूवैज्ञानिक और स्थलाकृतिक स्थिति, परियोजना/परियोजनाओं क्षेत्र में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति, परियोजना विशेष के स्थल के लिए वर्ष में कार्य के महीनों की संख्या आदि पर निर्भर करता है और ये सभी कारक परियोजना (परियोजनाओं) के समापन समय को प्रभावित करते हैं।

रेल परियोजनाओं के प्रभावी और त्वरित कार्यान्वयन के लिए सरकार द्वारा किए गए विभिन्न उपायों में (i) निधियों के आबंटन में पर्याप्त वृद्धि, (ii) फील्ड स्तर पर शक्तियों का प्रत्यायोजन, (iii) विभिन्न स्तरों पर परियोजना की प्रगति की गहन निगरानी (iv) शीघ्र भूमि अधिग्रहण, वानिकी और वन्यजीव क्लीयरेंस के लिए राज्य सरकारों और संबंधित प्राधिकरणों के साथ नियमित अनुवर्ती कार्रवाई और परियोजनाओं से संबंधित अन्य मुद्दों को हल करना शामिल हैं ।

******